न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 08 / 2024 (GCMS : 2024/)

1. **हजारी लाल** पुत्र मामराज जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **इन्द्रपाल** पुत्र मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. **इन्द्रो देवी** पत्नी मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. **एलवन्ति देवी** पत्नी मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. **कान्ता** पुत्री मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
5. **रवि कान्त** पुत्र विजय कुमार जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
6. **दलीप** पुत्र श्री हजारी लाल जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
7. **शकुन्तला** पत्नी श्री इन्द्रपाल जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
8. **सुमित्रा** पत्नी श्री दलीप कुमार जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
9. **उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.03.2024

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर उपस्थित हुए। उन्हे सुना गया। **प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि** उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 56[illegible] 20[illegible] अनवानी हजारी लाल बनाम इन्द्रपाल वगैरहा वाद संख्या 563/2021 [illegible] न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्याया[illegible] में मुन्तकिल करने [illegible] प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है, इसलिए इस मुंतकिली प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 563/2021 अनवानी हजारी लाल बनाम इन्द्रपाल वगैरहा वाद संख्या 563/2021 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:44 IST
Reason: SelfAttested